समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 14-06-2016 को विद्युत विभागीय संबंधी किये गये कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
4. सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा
5. सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
6. राजस्व पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
7. सहायक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा
8. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा शहरी
9. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा ग्रामीण
10. कनीय अभियंता, विद्युत, सिंहेश्वर
11. कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज
12. कनीय अभियंता, विद्युत, कुमारखण्ड
13. कनीय अभियंता, विद्युत, आलमनगर
14. कनीय अभियंता, विद्युत, चौसा
15. कनीय अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
16. श्री शेखर सुमन, फीडबेक इन्फ्रा
17. श्री प्रमोद कुमार, एस0जी0आई0पी0एल0
18. श्री धीरेन्द्र कुमार, सुप्रिमो एण्ड कॉ0
19. श्री सुरेन्द्र सिंह, टेक्नो फेब इंजि0 लि0
20. श्री अश्वनी कुमार, श्यामा प्रोभाईडर
21. लुमिनो इन्डस्ट्रीज लि0, मधेपुरा
22. विलिंग एजेंसी, मधेपुरा

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मी एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जाती है एवं अपेक्षित सुधार हेतु सख्त निदेश दिये जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभियंता, एजेन्सी एवं संवेदक अपना-अपना कार्य लगनशील होकर एवं ईमानदारी पूर्वक करें। चूंकि यह टीमवर्क है, एक का भी खराब प्रदर्शन, पूरी टीम

के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता अमान्य होगी और दोषी पदाधिकारी /कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि स्थिति अत्यन्त ही खराब है। किसी भी क्षेत्र में विगत तीन महीने से अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय /सहायक अभियंता को पूर्व में निदेश दिया गया था कि यदि उनके कार्य-कलाप में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

(2) <u>कैम्प का प्रचार-प्रसार</u> :-

समीक्षा के क्रम में प्रत्येक माह को 10 तारीख को विद्युत विपत्र का त्रृटि निराकरण करने हेतु शिविर का आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं कराया जा रहा है, जिससे लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाती है, फलस्वरूप शिविर में लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखं डमें कैम्प लगाया जाए, जिसके प्रभारी संबंधित कनीय अभियंता होंगे तथा कैम्प संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए। पुनः 15 तारीख को विपत्र संबंधित शिकायत का निराकरण कर, देय राशि की सूचना लिखित में उपभोक्ता को दी जाए।

(2) <u>ट्रांसफार्मर</u> :-

(i) कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा जिला में अधिष्ठापित ट्रान्सफर्मर के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मर की विस्तृत समीक्षा की गयी।

- जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अर्थात <u>तीन प्रकार की प्राथमिकता सूची तैयार करें</u> तथा यह चिन्हित कर लें कि कौन ट्रांसफार्मर को पहले ठीक कराने की आवश्यकता है, ताकि वह जले नहीं एवं उसकी सूची संबंधित एजेंसी को उपलब्ध करा दें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत/सभी सहायक/कनीय अभियंता/सभी एजेन्सी)

(3) <u>Meter Insatllation</u>

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि नया जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके यहां मीटर इन्स्टॉल किया जा रहा है, जबकि पुराने उपभोक्ताओं का मीटर की कमी के कारण इन्स्टॉल नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर इन्स्टॉलेशन की स्थिति अत्यन्त ही निराजशजनक है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय /सहायक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान में शत-प्रतिशत मीटर इन्स्टॉल किया जाए, ताकि विद्युत राजस्व की वसूली सही तरीके से हो सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा मीटर शत-प्रतिशत लगाया जा रहा है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण /अनुश्रवण अपने स्तर से करें तथा हरहाल में मीटर शत-प्रतिशत लगवाना सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन गोपनीय शाखा में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0 /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(4) Billing

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मीटर रीडिंग का फीडरवार समीक्षा की गयी एवं स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

❖ मधेपुरा शहरी :-

➢ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में कनीय अभियंता, मधेपुरा शहरी को 10,361 लक्ष्य के विरूद्ध 10,000 का मीटर रीडिंग करने हेतु निदेशित किया गया था, जिसमें 9426 रीडिंग पिछले माह किया गया, जबकि इस माह में 9549 का रीडिंग किया गया है तथा मात्र 123 अधिक बढ़ा है। कनीय अभियंता, मधेपुरा शहरी को निदेश दिया गया कि आगामी माह में 10,000 मीटर रीडिंग करना सुनिश्चित करें अन्यथा एक इन्क्रीमेन्ट रोकने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया। इसी प्रकार मनी रीसिट 9549 में 169 का हुआ है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नगर क्षेत्र में बिलिंग एजेंसी रिलायन्स कम्पनी द्वारा किया जाता है, जो पटना में रहते हैं। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जितना बिल रीडिंग किया जाता है, उतना बिल जेनरेटर होना चाहिए अन्यथा कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

❖ मधेपुरा ग्रामीण क्षेत्र :-

➢ कनीय अभियंता, विद्युत, ग्रामीण, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 9,000 लक्ष्य के विरूद्ध 8946 का रीडिंग इस माह में हुआ है। बताया गया कि 1671 उपभोक्ता सहरसा स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसके उपरान्त कुल-7200 का रीडिंग हुआ है। उन्होंने बताया कि पेयिंग कन्जुमर 85 प्रतिशत के आस-पास है। आगामी माह में 7500 रीडिंग हो जायेगा।

❖ सिंहेश्वर :-

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 8043 उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग किया गया है। जबकि बिल कम प्राप्त हो रहे हैं। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया। कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि लगभग 15,367 उपभोक्ता बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं, जिनका मीटर जला हुआ है तथा मीटर अनुपलब्ध रहने के कारण मीटर नहीं बदला गया।

❖ मुरलीगंज :-

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुरलीगंज फीडर का 400-500 उपभोक्ताओं का रीडिंग इस माह बढ़ा है। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग कराना सुनिश्चित करें।

❖ कुमारखण्ड :-

➢ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुमारखण्ड को 7677 का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें 7222 उपभोक्ताओं का रीडिंग किया गया है। पिछली माह से कुछ अधिक बढ़ा है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। संबंधित कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना सुनिश्चित करें।

उदाकिशुनगंज :-

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 18,560 उपभोक्ता हैं, जिसमें 8636 डिफेक्टिव कनजुमर हैं। बताया गया कि 6135 का रीडिंग किया गया है, जबकि चौसा, आलमनगर और बिहारीगंज फीडर का भी उपभोक्ता उनके क्षेत्र में है, जिसके कारण उन सभी का रीडिंग नहीं किया गया है। संबंधित कनीय अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने-अपने फीडर का उपभोक्ताओं की सूची अलग कर लें तथा नियमानुसार शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना सुनिश्चित करें।

❖ बिहारीगंज :-

➢ समीक्षा के क्रम में कनीय अभियंता, बिहारीगंज अनुपस्थित पाये गये। सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज, से पृच्छा की गयी कि कनीय अभियंता, बिहारीगंज कहा गये, तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ कनीय अभियंताओं पर नियंत्रण रखें तथा कार्य ससमय सम्पादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि कनीय अभियंता, बिहारीगंज हेतु 4000 का रीडिंग निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत रीडिंग करा कर अनुपालन प्रतिवेदन अगले बैठक में उपलब्ध करावें।

❖ ग्वालपाड़ा :-

➢ समीक्षा के क्रम में ग्वालपाड़ा फीडर में 6000 में से 4900 का रीडिंग किया गया है, जो पिछले माह से 490 बढ़ा है। निदेश दिया गया एवं आगामी माह में 5500 रीडिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

❖ चौसा :-

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पिछली माह से मात्र 509 मीटर रीडिंग इस माह में बढ़ा है। आगामी माह में 6000 लक्ष्य निर्धारित किया गया।

❖ आलमनगर :-

➢ समीक्षा के क्रम पाया गया कि आलमनगर फीडर में मात्र 500 अधिक मीटर रीडिंग पिछली माह के अनुपात में अधिक किया गया है। कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि आगामी माह में 3700 लक्ष्य निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत रीडिंग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्य0अभि0/सभी सहायक /सभी कनीय अभियंता, मधेपुरा जिला)

(5) <u>T&D loss / राजस्व संग्रहण</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Billing efficiency 65 % है, जबकि 30 प्रतिशत मीटर रीडिंग नहीं होने के कारण उसका राजस्व का लौस हो रहा है। मात्र 71 प्रतिशत ही मीटर रीडिंग किया गया है। बताया गया कि पिछले माह में 77 प्रतिशत Billing efficiency था।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निदेशित किया गया कि शत-प्रतिशत राजस्व की वसूली हो, इसे सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया कि